भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 491
उत्तर दिनांक 23/07/2026 को दिया गया

शांति अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित करना

491. श्रीमती रंजीत रंजन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन (शांति) अधिनियम, 2025 के तहत नियमों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) सरकार नियमों को किस समय-सीमा तक अधिसूचित करने का विचार रखती है;

(ग) क्या नियमों के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या शांति अधिनियम के तहत भारत के परमाणु क्षेत्र के प्रस्तावित उदारीकरण पर विदेशी सरकारों के साथ किसी द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रणनीतिक या प्रौद्योगिकी वार्ता में चर्चा की गई है या इसे उससे जोड़ा गया है, और यदि हाँ, तो इसमें शामिल देशों और चर्चा की प्रकृति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) शांति अधिनियम के तहत नियम, वर्तमान में मसौदा तैयार करने के चरण में हैं और उचित विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार अधिसूचित किए जाएंगे।

(घ) शांति अधिनियम, वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के नाभिकीय ऊर्जा मिशन पर केंद्रित है। यह अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अवसर प्रदान करता है। शांति अधिनियम के तहत नियम और विनियम वर्तमान में मसौदा तैयार करने के चरण में हैं और उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिसूचित किए जाएंगे।

अधिनियम और नियम लागू हो जाने के बाद ही, सभी हितधारक और निजी कंपनियां स्थानीय और विदेशी संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति पर चर्चा कर सकते हैं।

*****